

an>

Title: Introduction of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2016.

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: पृथ्ज यह है ः

"कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।